स्पीड पोस्ट

आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-308/16 श्र0सं0- 186

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, पटना।

पटना, दिनांक:- 27-3-17

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-112-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-पी. 2230011120101) राज्य योजना स्कीम कोड-LAB-5233 के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के संबंध में भारत सरकार ने पूर्व की योजना को संशोधित करते हुए Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labour 2016 अधिसूचित किया है। संशोधित योजना में विमुक्ति के पश्चात् बंधुआ मजदूरों को तत्काल लाभांवित करने के उदेश्य से प्रति जिला- ₹ 10.00 लाख (₹ दस लाख) की दर से सभी 38 जिलों में कॉरपस फंड का गठन पुनरीक्षित योजना की कंडिका 5(XIV) के अन्तर्गत किये जाने का प्रावधान है।

2. इस हेतु संशोधित विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1175 दिनांक-27.3.17 के आलोक में बंधुआ मजदूर पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय के निमित निधि का आवंटन किया जाता है।

3. यह आवंटन **₹ 3,80,00,000/-(₹ तीन करोड़ अस्सी लाख)** मात्र वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.3.16, पत्रांक-4572/वि० दिनांक-03.06.2016, पत्रांक-357/वि० दिनांक-10.03.2017 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि०(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।

4. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

5. इस आवंटित राशि की निकासी जिला पदाधिकारी पटना द्वारा करके इसे तत्काल पटना जिले की NCLP (National Child Labour Project) सोसाईटी के खाते में रखी जायेगी। इस राशि में से ₹ 10.00 लाख (₹ दस लाख) प्रति जिले की दर से अन्य 23 जिले जहाँ NCLP सोसाईटी गठित है यथा-नालंदा, गया, नवादा, जमुई, कटिहार, अररिया, पूर्वी चांपारण, सारण, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, सुपौल, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, सीतामढ़ी, किशनगंज, बेगूसराय, बांका, पूर्णियाँ, भागलपुर एवं सहरसा को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से राशि उपलब्ध करा देगें। अन्य जिले जहाँ सोसाईटी गठन की प्रक्रिया चल रही है, गठन होने के पश्चात ही चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से ₹ 10.00 लाख (₹ दस लाख) प्रति जिला की दर से राशि सोसाईटी के खाते में अन्तरित की जायेगी।

6. Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labour 2016 के अन्तर्गत सभी 38 जिलों में कॉरपस फंड के गठन पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

7. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अविलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।

8. यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

27/03/17

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-308/16 श्र0सं0- 186 पटना, दिनांक 27-3-17

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

27/03/17

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-308/16 श्र.सं. 186 पटना, दिनांक 27-3-17

*स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना /संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ *संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/संयुक्त श्रमायुक्त-01 एवं प्रशाखा-01/ प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/ प्रशाखा-6, बजट शाखा (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6 (श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. **उप श्रमायुक्त, पटना एवं श्री रणवीर रंजन, श्रम अधीक्षक, पटना को निदेश दिया जाता है कि जिला पदाधिकारी पटना से सम्पर्क स्थापित कर सभी संबंधित 24 जिलों के लिए राशि का व्यय 31 मार्च 2017 तक सुनिश्चित करायेगें ।**

3. व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा।

27/03/17

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त,बिहार।

ज्ञापांक: 6/एफ1-308/16 श्र0सं0- 186 पटना, दिनांक 27-3-17

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/03/17

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।